FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत.. मुकाम..

.... चेतराराम ....बनाम .... रुघाराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा.... धारा 111, 128 RLR .... नं. .... 218/2020 .... सन्.... 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....हरिराम चौधरी.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....29/09/2020.... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनांक 10/11/20 को पेश हो। [initials]	
10/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण नावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर दिनांक [illegible] 2020 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

22/12/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों मे व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 19/01/21 का पेश हो।

19/01/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 26/04/21 को पेश हो।

26/04/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 06/07/21 को पेश हो।

06/07/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 15/09/21 को पेश हो।

15/09/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/10/2021 को पेश हो।

14/10/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 कैम्प ग्राम पंचायत सिंगोडिया में रखी गई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास व मेड़-मेड़ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने सेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेतों को लेकर हमेशा प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेतों का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरगढ़ी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरगढ़ी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1328

दिनांकः– 22/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. चुतराराम पुत्र नारणाराम वगैरा
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खुमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 55
जाति जाट, नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 218 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –लीलाला, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 187, 226, 239, 450 / 257 रकबा क्रमशः 5.7439, 2.7021, 0.7038, 1.1083 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निधारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1329-1333

दिनांकः– 22/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चुतराराम पुत्र नारणाराम
4. विप्रार्थी श्री खुमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 55
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु